राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/Salary Arrear/ 4790 दिनांक 04/11/2024

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– **आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर पूर्व माहों के वेतन / वेतन एरियर बिल बनाने की सुविधा के संबंध में।**

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि कोर्ट के आदेशानुसार / पदोन्नति अथवा अन्य किसी कारण से कार्मिक को गत वर्षों / माहों का वेतन एरियर का भुगतान किए जाने अथवा किसी कार्मिक का पूर्व माह / माहों का वेतन बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 से बनाये जाने हेतु संबंधित कार्यालय से निम्न सूचनाएं कोषालय के माध्यम से प्रेषित की जानी अपेक्षित है :–

1. विभाग का नाम
2. कार्यालय का नाम एवं ऑफिस आई.डी.
3. कार्मिक का नाम एवं एम्पलॉई आई.डी., जिसे वेतन / एरियर का भुगतान किया जाना है।
4. वेतन / एरियर भुगतान की अवधि – दिनांक .... से दिनांक .... तक
5. पुराने माह का वेतन अब तक भुगतान नहीं किये जाने का कारण
6. सक्षम स्वीकृति (यदि आवश्यक हो तो)

उपरोक्त सूचनाएं निदेशालय को प्राप्त होने पर आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर डीडीओं को संबंधित कार्मिक को वेतन / एरियर भुगतान बिल बनाये जाने हेतु सिस्टम पर अधिकृत किए जाने के उपरान्त डीडीओं द्वारा बिल बनाया जा सकेगा।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि वेतन / एरियर के समस्त बिल अब आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ही बनाये जाने अपेक्षित है।

भवदीय

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/4917 दिनांक 08/11/2024

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– **आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर पूर्व माहों के वेतन बिल बनाये जाने के संबंध में।**

संदर्भः– इस विभाग का पूर्व पत्रांक 4790 दिनांक 04.11.2024

महोदय,

विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा कार्मिक के गत वर्षों / माहों के बकाया वेतन भुगतान का बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर बनाये जाने हेतु वांछित सूचना कोषालय के माध्यम से प्रेषित किए जाने पर डीडीओं को वेतन बिल बनाये जाने हेतु अधिकृत किये जाने से अवगत करवाया गया है।

विभाग के उक्त संदर्भित पत्र में वेतन के साथ वेतन एरियर का भी सहवन से उल्लेख हो गया है। वेतन एरियर बिल बनाये जाने की सुविधा डीडीओं लॉगिन में पूर्व में ही उपलब्ध करवायी जा चुकी है। वेतन एरियर बिल डीडीओं अपने स्तर से ही बना सकता है। अतः केवल बकाया माह / माहों के वेतन के प्रकरण ही प्रेषित किए जावे, वेतन एरियर के नहीं।

भवदीय

(अमिता शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

कार्यालय ....

क्रमांक   दिनांक :

श्रीमान् उपकोषाधिकारी / कोषाधिकारी

....

विषयः—आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर पूर्व माहों के वेतन बिल बनाने की सुविधा के संबंध में

प्रसंगः— निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर के पत्रांक 04.11.2024 एवं 08.11.2024 के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के कार्मिक .... पद .... पर इस संस्था में कार्यरत है / सेवानिवृत्त हो चुका है / मृत्यु हो चुकी है।

कारणः—

....

....

....

अतः उक्त माह हेतु के **आई.एफ.एम.एस. 3.0 सिस्टम्** पर बिल बनाये जाने हेतु डीडीओ लॉगिन में (अद्योहस्ताक्षरकर्ता को) अधिकृत करवाने की कृपा करावें।

विवरणः—

1. विभाग का नामः— ....
2. कार्यालय का नाम एवं ऑफिस आई.डीः—...
3. कार्मिक का नाम एवं एम्पलोई आईडीः—..
4. वेतन अवधि :—. ....
5. पुराने माह का वेतन अब तक भुगतान नहीं किये जाने का कारणः— ....
6. सकक्षम स्वीकति (यदि आवश्यक हो तो) :—
7. विशेष विवरणः— डीडीओ की एस.एस.ओ आई.डी—

डीडीओ / कार्यालयाध्यक्ष के हस्तक्षर मोहर